भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1704

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजनाएं

1704. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान फसल विविधीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है और मूल फसलों और अपनाई गई वैकल्पिक फसलों का फसल-दर-फसल राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसान लाभार्थियों की संख्या कितनी है और योजनावार तथा राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार चिन्हित क्षेत्रों में प्रोत्साहित की गई वैकल्पिक फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद, मूल्य समर्थन या संरचित बाजार संपर्क प्रदान करती है और यदि हां, तो खरीदी गई मात्रा और प्रस्तावित कीमत सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लघु एवं सीमांत किसानों के बीच वैकल्पिक फसलों को अपनाने को प्रोत्साहित करने तथा बाजार एवं आय संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.एंड.एफ.डब्ल्यू.) पानी की अधिक खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने के उद्देश्य से मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 से प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य धान की खेती को प्रतिस्थापित करने हेतु वैकल्पिक फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार करना है, साथ ही अधिक बायोमास उत्पन्न करने वाली और कम पोषक तत्वों का उपभोग करने वाली फलीदार (लेग्युमिनस) फसलों की खेती के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बहाल करना है। सी.डी.पी. के अंतर्गत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन,

कृषि मशीनीकरण और वस्तुओं के मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। धान की खेती को डायवर्ट करने पर अधिक बल देने के लिए इस कार्यक्रम को धान के 50,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल वाले जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल में विविधता लाने के लिए सीडीपी स्कीम को वर्ष 2015-16 से विस्तारित किया गया था। तंबाकू की खेती के अंतर्गत नगण्य क्षेत्र को देखते हुए, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों ने 2022-23 से इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, सीडीपी के तहत धान और तंबाकू की खेती के लिए कुल 23247 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए। वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के माध्यम से सी.डी.पी. के तहत धान और तंबाकू से अलग किए गए क्षेत्र को **अनुबंध - I** में संलग्न किया गया है। । सी.डी.पी. के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और लागत मानदंड **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। सी.डी.पी. एक केंद्र प्रायोजित स्कीम होने के कारण, इसका कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है और लाभार्थियों का विवरण केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता है।

भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के तहत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-तिलहन के तहत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत बागवानी फसलों जैसी फसलों की खेती करके फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से राज्य पीएम-आरकेवीवाई के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के तहत देश भर के 100 चयनित आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी का समन्वय किया गया है। पी.एम.डी.डी.के.वाई. के तहत, फसल विविधीकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है जिस पर उनके हस्तक्षेपों और अभिसरण नीतियों के माध्यम से कार्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए. एंड एफ.डब्ल्यू.) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएफएसआर), मोदीपुरम के माध्यम से एन.एफ.एस.एन.एम. के तहत 1326.60 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए "फसल विविधीकरण" पर एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है।

सरकार मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित

मूल्य मिल सके। मोटे अनाज और तिलहन फसलों सहित कृषि उपज के लिए किसानों की बाजार पहुंच (मार्केट एक्सेस) में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, नामतः: (i) मंडियों मेँ और मंडियों के बाहर ई-नाम की पहुंच का विस्तार करना; और (ii) तिलहन और मिलेट के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) विशेष रूप से वस्तु विशिष्ट किसान उत्पादक संगठनों को को बढ़ावा देना, ताकि इन एफपीओ के किसान सदस्यों को बाजार से जोड़ा जा सके। इसके अलावा, सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत फसलोपरांत और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ कर रही है।

मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के संबंध में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के परामर्श से केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और छह स्माल मिलेट्स खरीदने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, सरकार पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) कार्यान्वित करती है। तुअर, उड़द और मसूर जैसी दलहन की खरीद पीएम-आशा स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 से 100 प्रतिशत मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अंतर्गत की जा रही है। दालहन, मोटा अनाज, तिलहन और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की एमएसपी पर खरीद का विवरण अनुबांध-III में संलग्न है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं ताकि राज्य सरकारों के एक्सटेंशन पदाधिकारियों और किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई तकनीकों के अनुकूलन को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के उन प्रयासों का समर्थन करना है जिनके तहत बड़ी संख्या में किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नई तकनीकों और अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिनमें फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु-अनुकूल' कृषि पद्धतियां और प्राकृतिक खेती आदि शामिल हैं। यह जागरूकता विभिन्न एक्सटेंशन क्रियाकलापों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करने और कृषि विद्यालयों का आयोजन आदि के माध्यम से फैलाई जा रही है।

अनुबंध-I

फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के माध्यम से परिवर्तित क्षेत्र।

वर्ष	वैकल्पिक फसल प्रदर्शन (हेक्टेयर)
2013-14	109723
2014-15	196821
2015-16	98537
2016-17	39406
2017-18	65014
2018-19	35345
2019-20	13604
2020-21	73758
2021-22	40593
2022-23	5747
2023-24	14019
2024-25	3480
कुल	**696047**

फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के अंतर्गत सहायता का स्वरूप

क. मूल हरित क्रांति वाले राज्यों में सीडीपी

क्र.सं.	घटक/कार्यकलाप	सहायता की दर
1.	वैकल्पिक फसल प्रदर्शन	
i.	दलहन	दलहन मिशन लागत मानदंड (₹10000 प्रति हेक्टेयर)
ii.	तिलहन	एनएमईओ-तिलहन मानक (मूंगफली @ 14,000 रुपये/हेक्टेयर, सोयाबीन @ 10,000 रुपये/हेक्टेयर, सूरजमुखी @ 9,000 रुपये/हेक्टेयर, तिल/अरंडी/नाइजर @ 8000 रुपये/हेक्टेयर)
iii.	मोटे अनाज/ पोषक अनाज	एनएफएसएनएम मानदंड (i) किस्म के लिए ₹7500/हेक्टेयर (ii) मक्का की संकर किस्म के लिए ₹11500/हेक्टेयर
iv.	कपास	एनएफएसएनएम मानदंड एकीकृत फसल प्रबंधन (आईसीएम)/अंतरफसल/प्राकृतिक रंग कपास पर प्रदर्शन (8000 रुपये प्रति हेक्टेयर), देसी और ईएलएस कपास पर (9000 रुपये प्रति हेक्टेयर), एचडीपीएस पर (10000 रुपये प्रति हेक्टेयर)
v.	कृषि वानिकी प्रणाली को एकल फसल के रूप में अपनाना	10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
vi.	खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण	पौधों की लागत 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित
vii.	कृषि वानिकी प्रणाली के साथ अंतर्फसल खेती	5000 रुपये प्रति हेक्टेयर
2.	कृषि यंत्रीकरण और मूल्यवर्धन	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन/ किसी केंद्र प्रायोजित योजना/ राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार
3.	स्थल-विशिष्ट गतिविधियाँ (जैसे भूमिगत पाइपलाइन, मक्का ड्रायर, हरी खाद के लिए बीज आदि)	किसी केंद्र प्रायोजित योजना/ राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार
4.	जागरूकता प्रशिक्षण आदि के लिए	किसी केंद्र प्रायोजित योजना/ राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार

ख. तंबाकू की खेती को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए सीडीपी

तंबाकू उत्पादक राज्य, केंद्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना के तहत अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार, तंबाकू की खेती को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ/कार्यकलाप कर सकते हैं।

अनुबंध - III.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू)
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) विवरण

स्रोत: सीएसीपी
एमएसपी रुपये/क्विंटल में

			2024-25	2025-26		
फसल श्रेणी	**फ़सल**	**सीजन**	**एमएसपी**	**एमएसपी**	**पूर्ण परिवर्तन**	**% परिवर्तन**
अनाज	बाजरा	ख़रीफ़	2625.00	2775.00	150.00	5.71
	जौ	रबी	1980.00	2150.00	170.00	8.59
	ज्वार-हाइब्रिड	ख़रीफ़	3371.00	3699.00	328.00	9.73
	ज्वार-मालदंडी	ख़रीफ़	3421.00	3749.00	328.00	9.59
	मक्का	ख़रीफ़	2225.00	2400.00	175.00	7.87
	धान कॉमन	ख़रीफ़	2300.00	2369.00	69.00	3.00
	धान (एफ)/ग्रेड'ए'	ख़रीफ़	2320.00	2389.00	69.00	2.97
	रागी	ख़रीफ़	4290.00	4886.00	596.00	13.89
	गेहूं	रबी	2425.00	2425.00	0.00	0.00
दलहन	चना	रबी	5650.00	5650.00	0.00	0.00
	दाल (मसूर)	रबी	6700.00	6700.00	0.00	0.00
	मूंग	ख़रीफ़	8682.00	8768.00	86.00	0.99
	तुर (अरहर)	ख़रीफ़	7550.00	8000.00	450.00	5.96
	उड़द	ख़रीफ़	7400.00	7800.00	400.00	5.41
तिलहन	मूंगफली	ख़रीफ़	6783.00	7263.00	480.00	7.08
	नाइजरसीड	ख़रीफ़	8717.00	9537.00	820.00	9.41
	रेपसीड/सरसों	रबी	5950.00	5950.00	0.00	0.00
	कुसुम	रबी	5940.00	5940.00	0.00	0.00
	तिल (सेसमम)	ख़रीफ़	9267.00	9846.00	579.00	6.25
	सोयाबीन पीली	ख़रीफ़	4892.00	5328.00	436.00	8.91
	सूरजमुखी के बीज	ख़रीफ़	7280.00	7721.00	441.00	6.06
वाणिज्यिक फसलें	लॉन्ग स्टेपल कॉटन	ख़रीफ़	7521.00	8110.00	589.00	7.83
	पटसन	अन्य		5650.00		
	मध्यम स्टेपल कॉटन	ख़रीफ़		7710.00		
	गन्ना	अन्य		355.00		
वाणिज्यिक फसलों की सहायक फसलें	कोपरा (बॉल)	अन्य		12100.00		
	कोपरा (मिलिंग)	अन्य		11582.00		

वर्ष 2020-21 से मोटे अनाज की खरीद को दर्शाने वाला विवरण

(मीट्रिक टन में मात्रा) (करोड़ रुपये में)

वस्तु/राज्य	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य
बाजरा	**3,61,871.00**	**778.02**	**13,251.00**	**29.81**	**1,82,004.84**	**427.71**
गुजरात	11,515.00	24.76	7,284.00	16.39	57,410.80	134.92
हरियाणा	1,50,000.00	322.50			81,147.00	190.70
मध्य प्रदेश	1,95,351.00	420.00	5,400.00	12.15		
महाराष्ट्र	5,005.00	10.76	567.00	1.28	9.65	0.02
उत्तर प्रदेश					43,437.39	102.08
ज्वार	**1,46,472.00**	**383.76**	**1,56,574.79**	**428.70**	**85,197.09**	**253.04**
आंध्र प्रदेश					3,621.00	10.75
गुजरात					685.00	2.03
कर्नाटक	80,722.00	211.49	1,03,919.79	284.53	76,896.50	228.38
मध्य प्रदेश	29,582.00	77.50	32,393.00	88.69	258.15	0.77
महाराष्ट्र	36,168.00	94.76	20,262.00	55.48	3,736.44	11.10
उत्तर प्रदेश						
मक्का	**2,05,315.00**	**379.83**	**22,767.00**	**42.57**	**13,122.45**	**25.75**
गुजरात	4,133.00	7.65	389.00	0.73	197.00	0.39
महाराष्ट्र	94,769.00	175.32	19,615.00	36.68	12,925.45	25.36
उत्तर प्रदेश	1,06,413.00	196.86	2,763.00	5.17		
रागी	**4,94,350.00**	**1,628.88**	**4,37,338.70**	**1,476.89**	**4,56,744.99**	**1,634.23**
आंध्र प्रदेश					4.00	0.01
गुजरात						
कर्नाटक	4,74,098.00	1,562.15	4,04,783.70	1,366.95	4,54,404.00	1,625.86
महाराष्ट्र			253.00	0.85	636.48	2.28
ओडिशा	20,252.00	66.73	32,302.00	109.08		
तमिलनाडु					514.60	1.84
उत्तर प्रदेश						
उत्तराखंड					1,185.91	4.24

वस्तु/राज्य	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य
बाजरा	**6,96,457.45**	**1,741.14**	**3,43,352.00**	**901.30**	**2,25,289.00**	**625.18**
गुजरात	1,10,085.45	275.21	86,041.00	225.86	11,083.00	30.76
हरियाणा	2,31,334.00	578.34	1,56,000.00	409.50	233.00	0.65
मध्य प्रदेश						
महाराष्ट्र						
उत्तर प्रदेश	3,55,038.00	887.60	1,01,311.00	265.94	2,13,973.00	593.78
ज्वार	**3,23,162.90**	**1,027.66**	**4,14,855.00**	**1,398.48**	**44,820.00**	**165.79**
आंध्र प्रदेश	29,369.00	93.39	35,402.00	119.34		
गुजरात	2,946.00	9.37	5,327.00	17.96		
कर्नाटक	1,90,421.00	605.54	1,94,028.00	654.07		
मध्य प्रदेश			908.00	3.06	379.00	1.40
महाराष्ट्र	87,086.90	276.94	1,32,248.00	445.81	879.00	3.25
उत्तर प्रदेश	13,340.00	42.42	46,942.00	158.24	43,562.00	161.14
मक्का	**4,532.00**	**9.47**	**19,482.00**	**43.35**	**27,367.00**	**65.68**
गुजरात			118.00	0.26	466.00	1.12
महाराष्ट्र	81.00	0.17	52.00	0.12	13,692.00	32.86
उत्तर प्रदेश	4,451.00	9.30	19,312.00	42.97	13,209.00	31.70
रागी	**2,30,920.45**	**888.12**	**3,94,613.00**	**1,692.89**	**4,935.00**	**24.11**
आंध्र प्रदेश	376.00	1.45	1,107.00	4.75		
गुजरात	0.75	0.00	5.00	0.02	9.00	0.04
कर्नाटक	2,26,576.00	871.41	3,46,079.00	1,484.68		
महाराष्ट्र	189.00	0.73	233.00	1.00		
ओडिशा			40,000.00	171.60		
तमिलनाडु	1,889.00	7.27	4,050.00	17.37	654.00	3.20
उत्तर प्रदेश	0.70	0.00				
उत्तराखंड	1,889.00	7.27	3,139.00	13.47	4,272.00	20.87

2020-21 से न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यकलापों के तहत कपास की खरीद का विवरण

(गांठों में मात्रा) (करोड़ रुपये में)

राज्य	वर्ष 2020-21		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		2025-26	
	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य
पंजाब	5,36,000.00	1,529.00	38,441.00	128.40	1,710.00	6.14	45,546.00	182.11
हरियाणा	10,57,000.00	2,994.00	43,231.00	143.27	62,236.00	219.72	1,94,142.00	776.24
राजस्थान	9,11,000.00	2,586.00	52,074.00	170.17	50,164.00	181.87	3,39,812.00	1,358.67
गुजरात	4,15,000.00	1,204.00	91,435.00	316.48	14,12,394.00	5,148.33	15,26,063.00	6,101.66
महाराष्ट्र	24,95,000.00	7,083.00	2,44,099.00	838.09	29,41,151.00	10,714.29	19,71,025.00	7,880.00
मध्य प्रदेश	4,44,000.00	1,238.00	1,27,400.00	437.38	3,98,915.00	1,441.09	4,82,450.00	1,928.98
तेलंगाना	34,01,000.00	10,168.00	23,99,692.00	8,642.22	40,38,480.00	15,556.95	28,94,138.00	11,571.63
आंध्र प्रदेश	3,42,000.00	1,039.00	1,30,064.00	476.00	3,83,236.00	1,478.13	3,85,539.00	1,541.50
कर्नाटक	1,26,000.00	359.00	62,403.00	215.26	5,21,626.00	1,892.38	6,76,112.00	2,703.30
ओडिशा	2,06,000.00	622.00	94,531.00	344.25	2,06,150.00	796.90	2,33,171.00	932.29
पश्चिम बंगाल	-	-	219.00	0.77	232.00	0.92	247.00	1.00
कुल	**99,33,000.00**	**28,822.00**	**32,83,589.00**	**11,712.30**	**1,00,16,294.00**	**37,436.73**	**87,48,245.00**	**34,977.37**

नोट: कपास सीजन वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, कपास की कीमतें एमएसपी से ऊपर थीं। इसलिए किसानों को एमएसपी समर्थन की आवश्यकता नहीं थी।

वर्ष 2020-21 से पीएसएस के अंतर्गत एमएसपी पर दलहन, तिलहन की खरीद का विवरण

(मीट्रिक टन में मात्रा) (करोड़ रुपये में)

वर्ष/राज्य	तिलहन		दलहन		कुल	
	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य
वर्ष 2020-21	**2,95,212.34**	**1,585.17**	**8,17,046.85**	**4,528.67**	**11,12,259.19**	**6,113.84**
आंध्र प्रदेश	256.87	1.35	10,268.35	52.53	10,525.22	53.89
गुजरात	2,02,629.85	1,068.87	1,51,999.85	775.71	3,54,629.70	1,844.59
हरियाणा	3,715.00	21.85	1,099.65	7.91	4,814.65	29.77
कर्नाटक	5,156.14	52.52	30,999.82	166.17	36,155.96	218.70
मध्य प्रदेश	0.68	0.00	3,42,666.05	2,057.09	3,42,666.73	2,057.09
महाराष्ट्र	3.69	0.01	2,27,305.16	1,161.68	2,27,308.85	1,161.69
ओडिशा	2,388.83	12.71	862.35	6.21	3,251.18	18.92
राजस्थान	74,511.43	393.05	29,474.83	175.52	1,03,986.26	568.57
तमिलनाडु	48.88	0.49	5,626.95	40.45	5,675.83	40.94
तेलंगाना	-	-	16,743.84	85.39	16,743.84	85.39
उत्तर प्रदेश	6,500.97	34.29	-	-	6,500.97	34.29
2021-22	**1,51,634.73**	**842.62**	**30,30,956.91**	**16,635.70**	**31,82,591.64**	**17,478.31**
आंध्र प्रदेश	-	-	72,603.33	384.23	72,603.33	384.23
गुजरात	95,183.10	528.27	5,57,160.77	2,937.18	6,52,343.87	3,465.45
हरियाणा	1,882.45	11.32	2,466.06	15.41	4,348.51	26.73
कर्नाटक	-	-	99,666.05	562.43	99,666.05	562.43
मध्य प्रदेश	-	-	10,77,921.39	6,201.54	10,77,921.39	6,201.54
महाराष्ट्र	-	-	7,67,019.95	4,018.97	7,67,019.95	4,018.97
ओडिशा	271.42	1.52	3,800.95	27.65	4,072.37	29.17
पंजाब	-	-	2,559.20	18.62	2,559.20	18.62
राजस्थान	53,203.93	295.28	3,55,946.23	1,978.66	4,09,150.16	2,273.94
तमिलनाडु	32.95	0.34	4,292.40	31.20	4,325.35	31.54
तेलंगाना	-	-	60,431.03	318.14	60,431.03	318.14
उत्तर प्रदेश	1,060.88	5.89	27,089.55	141.68	28,150.43	147.57
2022-23	**11,70,656.63**	**6,599.51**	**28,31,401.10**	**16,128.72**	**40,02,057.73**	**22,728.23**
आंध्र प्रदेश	-	-	63,132.10	336.81	63,132.10	336.81
असम	3,273.30	17.84	-	-	3,273.30	17.84
गुजरात	84,336.97	459.64	3,28,480.43	1,752.52	4,12,817.40	2,212.15
हरियाणा	3,41,758.49	1,862.58	812.33	6.30	3,42,570.82	1,868.88
कर्नाटक	1,629.68	9.21	1,04,845.35	620.60	1,06,475.03	629.80
केरल	255.85	2.71	-	-	255.85	2.71
मध्य प्रदेश	1,67,090.96	910.65	11,36,102.96	6,771.04	13,03,193.92	7,681.68
महाराष्ट्र	-	-	7,73,077.66	4,124.86	7,73,077.66	4,124.86
ओडिशा	204.69	1.25	1,878.88	14.57	2,083.57	15.82
पंजाब	-	-	2,019.01	15.66	2,019.01	15.66
राजस्थान	4,86,580.39	2,652.27	3,41,022.24	2,046.12	8,27,602.63	4,698.39
तमिलनाडु	40,593.51	429.89	2,135.20	16.56	42,728.71	446.44
तेलंगाना	6,500.00	41.60	50,296.35	268.47	56,796.35	310.07
उत्तर प्रदेश	38,432.79	211.88	27,598.59	155.23	66,031.38	367.11

वर्ष/राज्य	तिलहन		दलहन		कुल	
	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य	मात्रा	एमएसपी मूल्य
2023-24	**14,41,356.22**	**8,953.79**	**6,93,769.32**	**5,272.67**	**21,35,125.54**	**14,226.46**
आंध्र प्रदेश	4,035.95	43.83	-	-	4,035.95	43.83
असम	11,102.05	62.73	-	-	11,102.05	62.73
गुजरात	1,16,561.61	659.35	1,408.85	11.62	1,17,970.46	670.97
हरियाणा	3,33,101.09	1,889.97	741.00	6.34	3,33,842.09	1,896.31
कर्नाटक	55,310.24	623.95	-	-	55,310.24	623.95
केरल	1,118.30	12.14	-	-	1,118.30	12.14
मध्य प्रदेश	3,58,649.99	2,026.37	5,77,120.98	4,371.79	9,35,770.97	6,398.17
महाराष्ट्र	769.47	3.54	-	-	769.47	3.54
ओडिशा	1,398.28	8.94	3,757.57	32.16	5,155.85	41.10
राजस्थान	3,98,299.46	2,284.16	54,294.13	460.76	4,52,593.59	2,744.92
तमिलनाडु	79,003.03	857.97	1,924.15	16.47	80,927.18	874.44
तेलंगाना	9,812.23	53.19	564.35	3.07	10,376.58	56.26
उत्तर प्रदेश	72,194.52	427.64	53,958.29	370.46	1,26,152.81	798.09
2024-25	**44,13,059.41**	**26,235.70**	**18,39,504.77**	**13,796.03**	**62,52,564.18**	**40,031.73**
आंध्र प्रदेश	1,036.80	11.57	86,266.45	657.76	87,303.25	669.33
असम	3,133.80	18.65	-	-	3,133.80	18.65
छत्तीसगढ़	117.85	0.69	2,075.70	11.73	2,193.55	12.42
गुजरात	13,32,359.49	8,887.83	3,25,202.52	2,190.13	16,57,562.01	11,077.96
हरियाणा	3,31,232.88	1,982.62	2,669.45	23.16	3,33,902.33	2,005.78
कर्नाटक	94,259.48	963.20	2,43,031.90	1,865.15	3,37,291.38	2,828.34
मध्य प्रदेश	6,72,431.02	3,343.02	7,20,618.89	5,515.84	13,93,049.91	8,858.86
महाराष्ट्र	11,20,014.50	5,479.11	1,39,310.68	1,042.45	12,59,325.18	6,521.56
ओडिशा	2,089.85	14.20	10,629.50	91.88	12,719.35	106.08
राजस्थान	6,07,066.17	3,872.66	2,00,254.92	1,573.83	8,07,321.09	5,446.49
तमिलनाडु	28,189.65	314.60	3,892.60	32.51	32,082.25	347.11
तेलंगाना	86,379.91	433.77	19,984.22	140.95	1,06,364.13	574.72
उत्तर प्रदेश	1,34,748.01	913.78	85,567.94	650.65	2,20,315.95	1,564.43
2025-26	**28,75,400.79**	**19,368.54**	**2,38,183.27**	**1,986.82**	**31,13,584.06**	**21,355.36**
आंध्र प्रदेश	-	-	24,512.30	196.10	24,512.30	196.10
गुजरात	18,18,904.12	13,058.95	3,955.15	31.68	18,22,859.27	13,090.63
कर्नाटक	51,745.20	297.10	26,471.33	214.49	78,216.53	511.59
महाराष्ट्र	6,03,342.20	3,214.61	1,845.42	14.39	6,05,187.62	3,229.00
राजस्थान	3,09,326.94	2,213.04	1,18,132.73	1,035.57	4,27,459.67	3,248.60
तेलंगाना	43,385.20	231.16	936.65	7.49	44,321.85	238.65
उत्तर प्रदेश	48,697.13	353.69	62,329.69	487.10	1,11,026.82	840.79

****